

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 (1) रसद/खाद्य सुरक्षा/आवंटन/2015-16/490-500

दिनांक : 10/03/2016

उप आवंटन आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

खाद्य विभाग के आवंटन आदेश क्रमांक एफ 13 (1) खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2016 दिनांक 04/03/2016 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु जिले को माह अप्रैल, 2016 से जून 2016 के लिए 7524 एम.टी. प्रतिमाह गेहूँ का आवंटन प्राप्त हुआ है। पंचायत समितियों एवं शहरी निकायों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार जिले में खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र परिवार की संख्या 327154 है एवं इनकी युनिट 14,09034 है। कय विक्रय सहकारी समिति, बाँसवाड़ा एवं राजस संघ बाँसवाड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्च 2016 के लिये उचित मूल्य दुकानों पर गेहूँ पहुंचवाने हेतु उन्हें क्रमशः 88.78 एमटी एवं 422.30 एमटी गेहूँ की अतिरिक्त आवश्यकता है। उपभोक्ता भंडार बाँसवाड़ा के पास 2.40 एमटी एवं कय विक्रय सहकारी समिति गढी के पास 12.16 एमटी गेहूँ स्टॉक में अवशेष है।

अतः माह अप्रैल, 2016 से जून 2016 के लिए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं ए.पी.एल के चयनित पात्र परिवारों हेतु थोक विक्रेतावार/पंचायत समिति वार आवंटन निम्नानुसार जारी किया जाता है:-

बी.पी.एल., स्टेट बी पी एल, अन्त्योदय एवं ए.पी.एल. के पात्र परिवारों हेतु माह अप्रैल, 2016 से जून 2016 हेतु आवंटन (मात्रा एमटी)

नाम थोक विक्रेता	पंचायत समिति	अन्त्योदय कार्ड	35 किलो प्रति राशनकार्ड से आवंटन	बीपीएल कार्ड	स्टेट बीपीएल कार्ड	ए.पी.एल. से चयनित पात्र परिवार	कुल परिवार 5+6+7	कुल युनिट	आवंटन	वितरण हेतु आवश्यक मात्रा 4+10	एफ.सी. आई.से उठाव हेतु आवंटित मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राजस संघ बाँसवाड़ा	कुशलगाढ	5156		9865	6580	7549	23994	123002	615.01		
	सज्जनगाढ	6941		9177	7072	8007	24256	106710	533.55		
	न.पा. कुशल	726		10	0	852	862	2960	14.8		
	आनन्दपुरी	5382		14890	3373	9326	27589	101513	507.57		
	बागीदारा	8602		16277	8953	8741	33971	151019	755.1		
	योग	26807	938.25	50219	25978	34475	110672	485204	2426.02	3364.27	3274
केवीएस एस एस बाँसवाड़ा	न.प. बाँस.	3883		538	0	8087	8625	36254	181.27		
	तलवाड़ा	7911		18227	5940	19015	43182	179328	896.64		
	छोटी सरवन	3666		8693	2920	1784	13397	59596	297.98		
	योग	15460	541.1	27458	8860	28886	65204	275178	1375.89	1916.99	1800
केवीएसएस गढी	गढी	7766	271.81	17415	7610	15163	40188	197915	989.575	1261.39	1150
उ.थोक भण्डार	घाटोल	10618	371.63	21464	6745	22230	50439	213113	1065.57	1437.2	1300
	महायोग	60651	2122.8	116556	49193	100754	266503	1171410	5857.05	7979.84	7524

खाद्य विभाग के उपरोक्त आवंटन आदेश के अनुसार आवंटित गेहूँ की उपरोक्त मात्रा का उठाव वितरण माह से पूर्व माह कि अन्तिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित किया जावे। विभाग से प्राप्त आवंटित गेहूँ की मात्रा वितरण हेतु आवश्यक मात्रा से कम होने के कारण थोक विक्रेता वितरण माह के खाद्यान्न की पूर्ति आगामी माह के आवंटन से करेंगे। इस हेतु विभाग को अतिरिक्त आवंटन जारी करने हेतु पत्र लिखा जा रहा है। अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होने पर उसका उपावंटन आवश्यकतानुरूप कर दिया जावेगा।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी :-

1. अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम गेहूँ 2 रु. प्रतिकिलो की दर से वितरण किया जावेगा।

2. खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत बी.पी.एल. व स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को 2 रु. प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति (प्रति युनिट) 5 किलोग्राम गेहूँ वितरण किया जावेगा।
3. ए.पी.एल. से चयनित पात्र परिवारों को 2 रु. प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति (प्रति युनिट) 5 किलोग्राम गेहूँ वितरण किया जावेगा। इन परिवारों की प्रमाणित सूची विकास अधिकारी/स्थानिय निकाय से प्राप्त कर उसके अनुरूप वितरण किया जावे।
4. थोक विक्रेताओं को उचित मूल्य दुकानवार आवंटित गेहूँ की सूची पृथक से दी गई है। इसके अनुरूप ही संबंधित डीलर को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा।
5. गेहूँ का वितरण कार्य नये डीजिटल राशन कार्ड के आधार पर ही किया जावेगा।
6. प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम में आवंटित खाद्यान्न की राशि जमा कर रिलिज़ ऑर्डर प्राप्त करेंगे।
7. प्रबन्ध खा.ना. आपूर्ति निगम लि. बाँसवाड़ा एवं समस्त थोक विक्रेता खाद्यान्न का उठाव करते समय फ़ैयर एवरेज क्वालिटी अथवा यू.आर.एस. श्रेणी का गेहूँ भौतिक रूप से देख कर ही लेंगे। नियमानुसार सैम्पल लिया जावेगा। खराब क्वालिटी गेहूँ का उठाव नहीं किया जावेगा।
8. यदि थोक विक्रेता द्वारा किसी उचित मूल्य दुकानदार को खराब गेहूँ की आपूर्ति करता है तो उसका वितरण उपभोक्ताओं में नहीं किया जावे तथा थोक विक्रेता खराब गेहूँ को अपने स्तर से बदलेगा।
9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी द्वारा समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को पाबन्द किया जावे कि उनके द्वारा आवंटित माह का खाद्यान्न पूर्व माह की अंतिम तारीख तक उठाया जावे। यदि किन्ही उचित मूल्य दुकानदारों के द्वारा निर्धारित तिथि तक थोक विक्रेताओं के वहाँ राशि जमा कर खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाता है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी एवं जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
10. किसी भी उपभोक्ता को एक से अधिक योजनाओं में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
11. समस्त प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक थोक विक्रेता से प्रतिदिन उठाव व वितरण की सूचना प्राप्त कर रेण्डम आधार पर उचित मूल्य दुकानदारों को आपूर्ति किये जाने वाले गेहूँ का भौतिक सत्यापन करेंगे। समस्त प्रवर्तन अधिकारी अपने क्षेत्र में गेहूँ वितरण पर निगरानी रखेंगे तथा समय - समय पर प्रभावी निरीक्षण करेंगे।
12. समस्त थोक विक्रेता परिवहन समानीकरण के लेखे प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जिला रसद अधिकारी, कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
13. उचित मूल्य दुकानों के सूचना पट्ट पर वितरण की जाने वाली सामग्री की मात्रा, दुकानों के खुलने व बन्द होने का समय, प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्टॉक की पूर्ण सूचना प्रतिदिन प्रदर्शित की जावे।
14. उचित मूल्य दुकान पर आवंटन एवं वितरण सम्बन्धी रिकार्ड निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही वितरित किये जा रहे खाद्यान्न का नमूना हर समय उपलब्ध रहना चाहिए।
15. उचित मूल्य दुकानों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर दुकान परिसर में हर समय उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जावे। यह व्यवस्था कठोरता से लागू की जाये।
16. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण से सम्बन्धित सभी एजेन्सियों द्वारा उक्त आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे। यदि किसी भी एजेन्सी द्वारा अनियमितता करना पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत चयनित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावे।


 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला कलक्टर (रसद),
 बाँसवाड़ा

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक उपभोक्ता मामलात् महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सांसद महोदय, बाँसवाड़ा- डूंगरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बाँसवाड़ा।
4. जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, बाँसवाड़ा।

5. विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा / गढी / घाटोल / बागीदौरा / कुशलगढ ।
6. प्रधान, पंचायत समिति, बांसवाड़ा / घाटोल / गढी / बागीदौरा / छोटी सरवन / कुशलगढ / सज्जनगढ / आनन्दपुरी / तलवाड़ा / अरथुना / गांगड़तलाई ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा उक्त आवंटन आदेश की प्रतियां जिला परिषद की सामाजिक एवं न्याय समिति के सदस्यों को भी उपलब्ध करावें ।
8. उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा / घाटोल / गढी / बागीदौरा / कुशलगढ / सज्जनगढ / आनन्दपुरी / छोटी सरवन ।
9. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बांसवाड़ा को दैनिक समाचार पत्रों में समाचार आईटम के रूप में प्रकाशन हेतु ।
10. उपनिदेशक सूचना प्राद्योगिकि एवं संचार विभाग बांसवाड़ा को जिले के वेब पोर्टल पर डालने हेतु ।
11. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा / छोटी सरवन / आम्बापुरा / घाटोल / गनोडा / गढी / बागीदौरा / आनन्दपुरी / गांगड़तलाई / कुशलगढ / सज्जनगढ ।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा / गढी / घाटोल / बागीदौरा / आनन्दपुरी / सज्जनगढ / कुशलगढ / छोटी सरवन / तलवाड़ा / अरथुना / गांगड़तलाई ।
13. क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम उदयपुर । / सहायक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम बांसवाड़ा ।
14. प्रवर्तन अधिकारी / प्रवर्तन निरीक्षक, बांसवाड़ा / घाटोल / गढी / कुशलगढ / बागीदौरा को वितरण पर पूर्ण सतर्कता हेतु ।
15. प्रबन्धक, राजस्थान राज्य एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बांसवाड़ा ।
16. क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस संघ बांसवाड़ा ।
17. मुख्य व्यवस्थापक स.उ.थोक भण्डार बांसवाड़ा ।
18. मैनेजर, क्र.वि.स.स. बांसवाड़ा / परतापुर ।
19. समस्त उचित मूल्य दुकानदार जिला बांसवाड़ा द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी / प्रवर्तन निरीक्षक को पालनार्थ ।
20. लेखा, अनुभाग कार्यालय हाजा ।


 जिला रसद अधिकारी,
 बांसवाड़ा